न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 27/2014 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. बागसिंह दत्तक पुत्र शंकर सिंह जाति राय सिक्ख निवासी ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा जिला अलवर ——— मृतक

1/1 मु0 करमोबाई बेवा बागसिंह जाति राय सिक्ख

1/2 छिन्दो बाई बेवा रोलसिंह पुत्री बागसिंह

1/3 वीरेन्द्र पुत्र रोलसिंह

1/4 कर्मजीत पुत्र रोलसिंह

1/5 शमशेर सिंह पुत्र रोलसिंह

1/6 राजसिंह पुत्र रोलसिंह पुत्र बाग सिंह जाति राय सिक्ख

1/7 वीर सिंह पुत्र बाग सिंह

1/8 बलवीर सिंह पुत्र बाग सिंह

1/9 गुरमीत कौर पुत्री गुरदीप सिंह पुत्र बाग सिंह

1/10 दलीप सिंह पुत्र बागसिंह जाति राय सिक्ख निवासीयान ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:——— अपीलांट्स

बनाम

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 भयराम पुत्र मथुरा प्रसाद ————————(फौत)
2 धडसीराम पुत्र देवीसहाय
3 सिब्बू राम पुत्र हनुवंत
4 सूबेसिंह पुत्र हनुवंत
5 भालू पुत्र बाकरिया मृतक जर्ये वारिसान

5/1 गजराज पुत्र भालूराम

5/2 महेन्द्र पुत्र भालूराम

5/3 गिल्लू पुत्र भालूराम

5/4 मनोज पुत्र भीमसिंह पुत्र भालूराम

5/5 सजना बेवा भीमसिंह पुत्र भालूराम

6 कालूराम पुत्र रामनाथ
7 दयाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण
8 प्रताप सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण
9 ईश्वर सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण
10 वीर सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण
11 सावलिया पुत्र भाना
12 रोशनलाल पुत्र भाना जाति यादव निवासीयान ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
13 ओमप्रकाश पुत्र रामपत जाति अहीर साकिन सलारपुर सब तहसील टपूकडा जिला अलवर राजस्थान

:——— प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, तिजारा
दिनांक 15.1.2014

———————————————————

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री आनंद सिंह

2. वकील रेस्पो0सं0 7 से 10 :— श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता

3. वकील रेस्पो0 सं0 12, 13 :— श्री विकान्त माथुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 16.11.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 455/1998 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 183 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 15.1.2014, जिसके द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वादी का उक्त वाद खारिज किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी बाग सिंह ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 29 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, 30 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, 49 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 63 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा तरफ पूर्व, आराजी साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा तरफ पश्चिम, 121 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा तरफ उत्तर, 122 मिन रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा तरफ उत्तर वाके ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा में स्थित है । उपरोक्त आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, 129 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 226 रकबा 18 बिस्वा, 384 रकबा 01 बीघा 4 बिस्वा, 407 रकबा 18 बिस्वा, 431 रकबा 12 बिस्वा, 169 रकबा 11 बिस्वा, 168 रकबा 10 बिस्वा सालिम व खसरा नम्बर 386 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा में से 7/8 हिस्सा है । उपरोक्त आराजीयात का वादी खातेदार है । वादी मृतक शंकर सिंह पुत्र चम्बासिंह रायसिख का जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 10.5.1962 से दत्तक पुत्र है । हिन्दू कानून व रिवाज के अुनसार वादी के गोद आ जाने की सूरत में जायन्दा पिता से हक विच्छेद होकर वादी को शंकर सिंह के जायन्दा पुत्र होने के समान अधिकार हासिल हुआ है तथा विवादित आराजी में वादी का हक निहित हो गया है । परन्तु उक्त शंकर सिंह अन्य लोगों के बहकावे में आकर विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है, जबकि वादी का विवादित आराजी में हक निहित है । वादी ने पूर्व में उपखंड अधिकारी, किशनगढबास के यहां वाद पत्र उनवान भागसिंह बनाम लछमन सिंह दायर किया था, जो दिनांक 20.8.1980 को खारिज हो गया, जिसकी अपील संख्या 553/80 उनवान भागसिंह बनाम शंकर राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहां पेश की थी, जो दिनांक 22.10.84 को स्वीकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

कर उपखंड अधिकारी, किशनगढबास का निर्णय दिनांक 20.8.80 निरस्त किया गया था तथा वादी का वाद डिक्री कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी । तभी से वादी सन 1985 से वदस्तूर खुद काविज काश्तकार चला आ रहा है । वादी का दत्तक पिता शंकर सिंह सन 1966 में फिक्कल माईंड हो गया था और अन्य प्रतिवादीगण लक्ष्मणसिंह वगैरा ने इसका फायदा उठाकर फर्जी बयनामा दिनांक 30.6.67 को अपने सगे भान्जो लटकनसिंह व बन्तासिंह के पक्ष में करा दिया । उक्त दस्तावेज दौराने दावा निष्पादित कराया गया है, जो नल एण्ड वॉयड है । वादी के दत्तक पिता शंकर सिंह का देहान्त हो चुका है । विवादित आराजी से ना तो प्रतिवादीगण लक्ष्मनसिंह वगैरा का कोई वास्ता है और ना ही खरीददार लटकनसिंह वगैरा का कोई वास्ता है और ना ही आराजी का बेचान हो सकता है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे ।

3 दौराने विचारण वाद पत्र प्रतिवादी ने तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 पेश कर निवेदन किया था कि वादी बाग सिंह ने अपने आपको शंकर सिंह का दत्तक पुत्र बताते हुये विवादित आराजी पर अपने आपको खातेदार घोषित कराना चाहता है । परन्तु अदालत श्रीमान को गोदनामा के आधार पर किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार नहीं है । ऐसे प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है । सबसे पहले वादी को उत्तराधिकारी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत अपने आपको शंकर सिंह का उत्तराधिकारी घोषित कराना होगा, उसके बाद ही वादी वाद ला सकता है । अन्यथा अदालत श्रीमान को उक्त वाद की सुनवाई का अधिकार नहीं है । कथित गोदनामा दिनांक 10.5.1962 का पेश किया गया है, जो गोदनामा को न्यायालय मुन्सिफ तिजारा से उनवान मुकदमा दीवानी वाद संख्या 332/1966 में पारित निर्णय दिनांक 27.5.1968 द्वारा बातिल व बेअसर करार दिया जा चुका है । इस प्रकार सिद्ध है कि वादी मृतक शंकर सिंह का दत्तक पुत्र नहीं है और उसे वाद लाने का अधिकार नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण को सुनने का अधिकार क्षेत्र राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 15.1.2014 द्वारा प्रतिवादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वादी का वाद पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर वादीगण ने यह अपील पेश की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने प्रतिवादीगण ने तहत अदालत में अपना जवाब दावा पेश किया था, जिसमें क्षेत्राधिकार के विन्दू को नहीं उठया था । इसलिये प्रतिवादीगण को आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में क्षेत्राधिकार के बिन्दू को उठाने का अधिकार नहीं था । अगर किसी प्रार्थना पत्र में कोई कानूनी बिन्दू उठाया जाता है तो उस पर विधिक तनकी वनाई जानी चाहिये थी, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया । इतना ही नहीं, प्रकरण में जवाब दावा पेश कर दिया गया था । ऐसी स्थिति में तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करते हुये वाद पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिये था । हमारे पिता/पति/दादा वादी बागसिंह मृतक शंकर सिंह का दत्तक पुत्र था । इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक शंकर सिंह की विवादित आराजी में वादी बागसिंह का हक निहित था । परन्तु प्रतिवादीगण आराजी को खुर्द बुर्द करने उतारू है । इसलिये तहत अदालत को वाद पत्र डिक्री करना चाहिये था । परन्तु गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डी0 एन0 जे0 2013 (4) राज0 उच्च न्यायालय पेज 1848 तथा ए0 आई0 आर0 1985 पटना पेज 35 पेश किये ।

5 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी से वादी बागसिंह का कोई लेना देना नहीं था । वह मृतक शंकर सिंह का दत्तक पुत्र नहीं था । गोदनामा फर्जी है, जिसे सिविल न्यायालय ने बातिल व बेअसर करार दे दिया है । जब वादी बागसिंह मृतक शंकर सिंह का दत्तक पुत्र है नही तो उसे शंकर सिंह की विवादित आराजी के सम्बन्ध में वाद पत्र लाने का अधिकार नहीं है और ना ही इस प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है । ऐसी स्थिति में तहत अदालत ने सही तौर पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । दौराने विचारण अपील प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र रामपत जाति अहीर निवासी सलारपुर सब तहसील टपूकडा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 अदालत हाजा में पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 49 मिन रकबा 11 बिस्वा हाल नम्बर 169 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा का बेचान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

टेकसिंह पुत्र गुलाब सिंह ने सतवीर व नवल सिंह को कर दिया था । प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत बयनामा उक्त सतवीर व नवल सिंह से खरीद कर ली थी । प्रार्थी के पक्ष में बयनामा के आधार पर इंतकाल स्वीकृत हो चुका है और कागजात माल में अमल दरामद हो चुका है, परन्तु वादी ने प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया । प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है । इसलिये प्रार्थी को रेस्पो0 के रूप में पक्षकार बनाया जावे । इसी प्रकार का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 प्रार्थी रोशन लाल पुत्र भानाराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा ने अदालत हाजा में पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 49 मिन हाल नम्बर 168 रकबा 12 एयर वाके ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा की सनद भांकर सिंह को प्राप्त हुई थी तथा उक्त भांकर सिंह से प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 13.8.1968 को उक्त आराजी खरीद कर ली थी, जिसका इंतकाल भी प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है और कागजात माल में दमल दरामद हो चुका है, परन्तु प्रार्थी को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया, जब कि प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है । अतः निवेदन है कि प्रार्थी को रेस्पो0 के रूप में पक्षकार बनाया जावे । अदालत हाजा ने आदेश दिनांक 9.8.2016 द्वारा उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर प्रार्थीगण को अपील में रेस्पो0 के रूप में पक्षकार बनाया था ।

7 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । न्यायालय मुन्सिफ, तिजारा ने दीवानी मुकदमा नम्बर 332/1966 में दिनांक 27.5.1968 को निर्णय (प्रदर्श-डी-4) पारित करते हुये मृतक शंकर सिंह द्वारा मौजूदा प्रकरण के वादी बाग सिंह के पक्ष में कराये गये गोदनामा को बातिल व बेअसर करार दिया है । इस प्रकार सिद्ध है कि वादी बाग सिंह के गोदनामा को सिविल न्यायालय द्वारा बातिल व बेअसर करार दे दिया गया है । ऐसी स्थिति में अब वादी बाग सिंह को गोदनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में वाद पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । राजस्व न्यायालय को उत्तराधिकार का बिन्दू तय करने का अधिकार नहीं है । हम विद्वान वकील रेस्पो0 के इस कथन से पूर्णतया सहमत है कि सबसे पहले वादी बाग सिंह को सिविल न्यायालय से अपने आपको मृतक शंकर सिंह का उत्तराधिकार घोषित कराना चाहिये था । जब वादी बाग सिंह मृतक शंकर सिंह का दत्तक पुत्र होना साबित नहीं है तो ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

वादी वाग सिंह को मृतक शंकर सिंह की आराजी के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में वाद पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है । इसी कारण विद्वान तहत अदालत ने सही तौर पर वादी का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० में खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 15.1.2014 यथावत रखा जाता है ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर